




परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा-बरसाली-मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संलग्न किया गया है।

  
अमान  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
लो.नि.वि.

  
सहायक अभियन्ता  
लो.नि.वि.

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

3-06-16

सक

अरविन्द सिंह ह्यौकी,  
समाधी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

1328  
SSO/CAO  
2/16

CAO  
2/16  
(SSO-17)

संलग्न अभियन्ता  
को वि. वि.

देहरादून: दिनांक: 02 जून, 2016

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में विभिन्न 07 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न 07 कार्यों की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 43.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 449.77 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 449.77 लाख (₹ चार करोड़ उन्पचास लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिन श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सानान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीड्यूल् आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि नदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22--लेखाधीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य, विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित नियर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Handwritten signature

दाया श्री 2/16

सहायक अभियन्ता  
शा. स. लो. नि. वि. वि.  
कर्ण प्रयाग (चमोली)

- (ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- (xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-106/XXVIII(2)/2016 दि0-31 नई, 2016 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह ह्याँकी )  
प्रभारी सचिव।

संख्या:- 1843 / 111(2) / 16-06(एम0एल0ए0) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय नोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

दापाप्रीतुभाठिस  
सहायक अभियन्ता  
प्रा. मण्ड लो० नि० वि०  
क.प. प्रवाण (चमोली)

आज्ञा से,

( ए०एस०पांगती )  
उप सचिव

शासन-नादेश संख्या-1843 / 111(2)/16-06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 02 जून, 2016 का संलग्नक

( धनराशि लाख ₹ में )

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12 मी. स्तान का निर्माण कार्य।	5.00+ 12 mtr.	41.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2478/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत लंगासू-जयकण्डी-बणसोली मोटर मार्ग के ग्राम बणसोली से होते हुए सिलंगी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10.00	82.00	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2480/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बणसोली मोटर मार्ग के कुण्डडुंग्रा-किमधार-सेरागाड होते हुए गुनाड तक विस्तार का नव निर्माण का कार्य।	10.00+ 15 mtr.	119.05	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2481/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बिडोली तल्ली से कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	35.40	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2482/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत इण्टर कॉलेज कनखुल से चौपड्यू नैखुरा मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	70.80	0.10
6	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में पिण्डवाली मोटर मार्ग के पिण्डवाली बैण्ड से ऐगड गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	4.00	32.80	0.10
7	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5 से स्वका बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बणियास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	68.00	0.10
	योग:-	43.00 + 02 Brg	449.77	0.70

( कुल ₹ सत्तर हजार मात्र )

कार्यालय:  
अधीक्षण अभियन्ता:  
शातवाँ, वृत्त लो० ति० वि०  
गोपेश्वर

पृष्ठ

दायाँ परिष्कारित

( ए०ए० पांगती )  
उप सचिव

सहायक अभियन्ता  
शा. खण्ड लो० ति० वि०  
कर्णप्रयाग (चमोली)